



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी. आइ. जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002

संख्या: वी-12/11/1/2014-यो.एवं वि.

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2016

नियोक्ताओं को नोटिस

विषय: नियोक्ता/कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना(स्त्री)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी.अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्तियोग्य स्थापनाओं/कारखानों एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश में कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ स्वतंत्र भारत में आरंभ की जानेवाली प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो अब लाखों लोगों के जीवन का अंग बन गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम समय एवं प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखते हुए, डिजिटल अंतर को लगातार कम करने की कोशिश करते हुए एवं "ईएसआइसी-2.0" के नाम से दूसरे चरण के सुधारों के अंतर्गत स्वास्थ्य सुधार की पहल करते हुए अति कुशलता के साथ भारत के कार्यबल की सेवा करने के लिए स्वयं को विकसित करने का कठिन प्रयास कर रहा है।

इकाई पर अधिनियम के लागू होने के बाद नियोक्ताओं को 15 दिनों के अंदर (विनियम 10-ख) कारखाने/स्थापना एवं अपने कर्मचारियों का तत्काल पंजीकरण करवाना आवश्यक है। कर्मचारियों एवं नियोक्ता के अंशदान का भुगतान प्रधान नियोक्ता करेगा (धारा 40)। समय से बकाया राशि की गैर अदायगी पर हर्जाने वसूले जाएंगे (विनियम 31ग)। अंशदान का भुगतान नहीं करने की सजा के उपबंध अधिनियम की धारा 85(क) से (छ) के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। धारा 85ख भू-राजस्व के बकाया राशि के रूप में हर्जाना वसूल करने की शक्ति प्रदान करती है।

यह एकबारगी अभियान, अधिनियम के अंतर्गत पात्र उन सभी लोगों तक सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को पहुंचाने से अभिप्रेत है, जिन्हें अब तक क.रा.बी.व्याप्ति से बाहर रखा गया है और यह अभियान 20 दिसंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि हेतु खुला है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. इस अवधि के दौरान पंजीकृत नियोक्ता को पंजीकरण की तारीख से अथवा उनके द्वारा घोषित तारीख से व्याप्त माना जाएगा।
2. नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की तारीख से व्याप्त माना जाएगा।
3. 20 दिसंबर, 2016 से पहले क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत कृत कारवाई/आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सभी नियोक्ताओं/कर्मचारियों को इस अवसर का लाभ उठाने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि इस योजना के एकबारगी हितलाभों का उपभोग करते हुए क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत सभी व्याप्तियोग्य इकाइयां/कर्मचारी पंजीकृत हैं।

बीमा आयुक्त(योजना एवं विकास)



HQRS.OFFICE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

PANCHDEEP BHAVAN, CIG ROAD, NEW DELHI-110002
(ISO 9001: 2008 Certified)
www.esic.nic.in, e-mail: dir-pnd@esic.nic.in.

No. V-12/11/1/2014-P&D

Dated:-20.12.2016

NOTICE TO EMPLOYERS

Subject- Scheme to Promote Registration of Employers/ Employees (SPREE)

The Employees State Insurance Corporation, in its 170th meeting held on 15.12.2016, has approved a Scheme to promote registration of Establishments /Factories and employees coverable under the ESI Act, 1948.

The ESI Scheme is one of the premier Schemes launched in the independent India, with an objective to provide Social Security to the workforce in the country, which has now become part of life for millions. Employees State Insurance Corporation has been striving hard to evolve itself to serve India's workforce with utmost efficiency, keeping pace with time and technology, relentlessly trying to narrow down the digital divide and bringing in health reform initiatives under 2nd Generation Reforms, titled as "ESIC 2.0".

The employers are required to register the Factory/Establishment under the ESI Act within 15 days (Regulation 10-B) after the Act becomes applicable to the unit and also required to register their employees immediately. The principal employer shall pay the employees' and employer's contribution (Section 40). Damages are recoverable for non-payment of any dues in time (Regulation 31C). Provisions for punishment for failure to pay contribution are defined under Section 85 (a) to (g) of the Act. Section 85 B provides power to recover damages as an arrear of land revenue.

A one time drive, is intended to extend the social security benefits to all-eligible under the Act, who have till now been kept out of the ESI coverage, and is open for the period w.e.f. 20th December 2016 to 31st March 2017.

The salient feature of the Scheme is as under:

1. The employers registering during the period will be treated as covered from the date of registration or as declared by them.
2. The newly registered employees shall be treated as covered from the date of their registration.
3. This will not have any bearing on actions taken/required under ESI Act, if any, prior to 20th December, 2016.

All the employers /employees are encouraged to use this opportunity & ensure that all the units /employees coverable under the ESI Act are registered availing the one time benefits of the Scheme.


Insurance Commissioner (P&D)